मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- योगी सरकार की फ़र्जी मुठभेड़ों में मारे जा रहे दलित और यादव — 3
- भाजपाइयों ने बुलडोजर से ढहा दी त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति — 4
- शरीर को नकारो मत! अपने आप को स्वीकारो! — 5
- लड़कियों को खतरा पितृसत्तात्मक समाज से नहीं लड़कियों — 5
- छात्रों को लूटने का सरकारी अड्डा है हरियाणा शिक्षा बोर्ड — 8

वर्ष 31 | अंक -11 | फ़रीदाबाद | 11-17 मार्च 2018 | फ़ोन : - 9999595632 | ₹ 2

एसआरएस ग्रुप ने भी बैंकों का 2000 करोड़ लूटा

शैल कंपनियों को घोषित किया दिवालिया

क्या अब अनिल जिंदल, प्रतीक जिंदल भी देश छोड़कर भागेंगे ?

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो की ख़ास पड़ताल

फ़रीदाबाद में भी पीएनबी महाघोटाले की तरह घोटाला अंजाम दिया गया। लेकिन फ़रीदाबाद में स्टेट बैंक अफ इंडिया और कुछ अन्य बैंकों से लोन लेकर लूटा गया। जानते हैं फ़रीदाबाद का नीरव मोदी और मेहुल चौकसी या विजय माल्या कौन है...वो है अनिल जिंदल (और उसका परिवार) जो नीरव और मेहुल की तर्ज पर विदेश भागने के चक्कर में है।

अनिल जिंदल ने फ़रीदाबाद में करीब 200 शेल कंपनियां बनाकर करीब 2000 करोड़ का लोन एसबीआई व अन्य बैंकों से उठाया और अब नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में इन कंपनियों को दिवालिया घोषित करते हुए केस कर दिया ताकि पीछा छुड़ाया जा सके। खास बात यह है कि फ़रीदाबाद के किसी भी बैंक ने अभी तक अनिल जिंदल के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज न तो पुलिस में और न ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में दर्ज कराया।

लेकिन जनता की शिकायत पर फ़रीदाबाद पुलिस ने जरूर 21 एफआईआर अनिल जिंदल खानदान पर दर्ज की है। जिसमें पब्लिक से फ्राड के मामले हैं। फ़रीदाबाद के रियल्टी सेक्टर ने किस तरह जनता को लूटा है, उसके बारे में विस्तार से मजदूर मोर्चा के पिछले अंकों में छापा जा चुका है। लेकिन मजदूर मोर्चा ने जब अपनी पड़ताल को और आगे बढ़ाया तो पता चला कि अनिल जिंदल ने फ़रीदाबाद में ठीक नीरव मोदी व मेहुल चौकसी की तर्ज पर काम किया।

अनिल जिंदल की मूल कंपनी एसआरएस लिमिटेड की 2016-17 की बैलेंस शीट के मुताबिक कंपनी ने सरकार को बताया कि वह स्टेट बैंक आफ इंडिया की 46636.94 लाख, बैंक आफ इंडिया की 17114.10 लाख, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 9708.40 लाख, ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स की 5217.22 लाख, सिंडीकेट बैंक की 993.30 लाख की लोन डिफाल्टर कंपनी है। यह सभी राशि प्रिंसिपल अमाउंट है यानी इसमें इन पर बैंकों द्वारा लगाया गया ब्याज शामिल नहीं है।

अनिल जिंदल : कब भागेगा ?

मज़दूर मोर्चा की जांच पड़ताल बताती है कि एसआरएस पर बैंक आफ बड़ौदा का घोषित एनपीए 68 करोड़ 89 लाख 64 हजार 532 रुपये, कर्नाटक बैंक का 10 करोड़ 45 लाख 1588 रुपये, कॉरपोरशन बैंक का 38 करोड़ 74 लाख 76 हजार 577 रुपये है। यानी यह पैसा एसआरएस इन बैंकों का ब्याज राशि सहित नहीं चुका पाया और दिवालिया घोषित कर दिया।

इसी कंपनी पर केनरा बैंक का 10 करोड़ 50 लाख, इंडियन ओवरसीज बैंक का 11 करोड़ 25 लाख, देना बैंक का 3 करोड़ 50 लाख का भी एनपीए है। केनरा बैंक ने रॉयल हिल्ज सोसायटी पर तो लगभग कब्जा ही कर लिया और देनदारी का नोटिस लगा दिया। इस सोसायटी के फ्लैट में रह रहे लोगों को एसआरएस ने रजिस्ट्री कराने से इनकार कर दिया। मतलब यह है कि जब जमीन केनरा बैंक के कब्जे में है तो एसआरएस रजिस्ट्री करा भी नहीं सकता। फ्लैट मालिकों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन फरीदाबाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर बैठ गई। अनिल जिंदल और उसकी कंपनी के सारे डायरेक्टर खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन पुलिस की आंखें बंद हैं।

कैसे धंधा किया जाता है

अनिल जिंदल ने बैंकों, प्राइवेट इन्वेस्टर्स और पब्लिक को बेवकूफ बनाकर पैसों की लूट मचाई। बैंकों ने इस आधार पर कर्ज दिए कि एसआरएस लिमिटेड के पास बहुत जमीनें हैं, उनका पैसा डूबेगा नहीं। कर्ज लेते समय इन बैंकों ने फोटोस्टेट कॉपियों पर विश्वास कर लिया। प्राइवेट इन्वेस्टर्स से कहा गया कि अगर वो पैसा एसआरएस के प्रोजेक्ट में लगाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। बैंकों से कहीं ज्यादा पैसा एसआरएस में इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है। यह ऐसा पैसा है जिसे काले धन को और काला करने के लिए लगाया गया है। फरीदाबाद में नहरपार जिन लोगों को जमीन के मुआवजे में करोड़ों

शेष पेज दो पर

एस आर एस प्रकरण भी महामारी का ही एक और नमूना है। अभी न जाने कितने डूबते कारोबार सामने आयेंगे।

मेहुल चौकसी का तो रेकार्ड खराब था लेकिन आपको क्या लगता है विजय माल्या ने इसलिए इतना बड़ा एंपायर खड़ा किया था कि एक दिन पैसे लेकर भाग जाऊँगा ??? या रोटोमैक, भूषण स्टील, विडियोकॉन, रेड एंड टेलर जैसे बड़े और पुराने ब्राण्ड भागने के लिए व्यापार में आए थे ????

धंधा ज़माना बहुत बड़ा काम होता है, कोई भी अपनी दुकान छोड़ कर नहीं भागना चाहता है... और इतनी बड़ी दुकान वाला बिना भविष्य के लोन भी नहीं लेता.... आप माने या भांग पिए रहें, सच ये है कि अर्थ व्यवस्था टूट रही है... आइटी, टेक्स्टायल, मैनुफक्चरिंग, पावर सेक्टर, ऑटोमोबाइल, अग्रीकल्चर अपने सबसे बुरे दौर में चल रहे हैं..... और ये सब उसी के साइड इफ़ेक्ट आपको दिख रहे हैं....

एक ही धंधा पूरे जिंदल खानदान का

कहते हैं कि आपके एक ही धंधे में अगर पूरा खानदान लगा हो तो धंधे की कामयाबी सौ फीसदी पक्की है। अनिल जिंदल का खानदान पूरे एसआरएस के संचालन में शामिल है। उनका बेटा प्रतीक जिंदल के अलावा सुनील जिंदल, विनोद जिंदल, राजेश सिंगला, सुशील सिंगला, अभिषेक गोयल, अंकुश गोयल, सचिन गोयल, विनय गोयल, विनय गोयल, अंकित गोयल, राहुल अग्रवाल, अंकित गर्ग, मनोहर लाल, करमवीर, प्रमोद कुमार उर्फ प्रमोद ग्रोवर, भागवत दयाल गोयल, उमा गर्ग, विनोद गर्ग आदि भी एसआरएस के बिजनेस से जुड़े हैं और सभी अनिल जिंदल के दूर या नजदीक के रिश्तेदार हैं। कुछ व्यापारिक गतिविधियों में सीमा नारंग की भूमिका भी पाई गई। यह एसआरएस कॉरपोरेट ऑफिस में बैठकर पूरा एकाउंट संभालती है।

अनिल जिंदल की कुछ कंपनियों के नाम

तमाम सरकारी व प्राइवेट बैंक ने अनिल जिंदल की जिन कंपनियों को एनपीए घोषित किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं – एसआरएस फाइनैंस लिमिटेड, एसआरएस लिमिटेड, बीटीएल होल्डिंग्स प्रा लि, एसआरएस हेल्थकेयर एंड रिसर्च सेंटर लिमिटेड, एसआरएस नॉलेज एंड टेक्नॉलोजी प्रा लि, एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड, एसआरएस रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एसआरएश रिट्रीट सर्विसेज लिमिटेड,

शेष पेज दो पर

एक और महा घोटाला आया सामने, कर्मचारियों का 3200 करोड़ रुपया डकारा मालिकों ने

शायद अब मोदी के भारत की पहचान घोटालेबाज देश के बतौर होने लगी होगी, क्योंकि एक घोटाले की खबर ठंडी नहीं पड़ती कि दूसरा हैरतनाक घोटाला सामने आ जाता है, अब टीडीएस घोटाले में 447 कंपनियों ने कर्मचारियों के साथ मिलकर किया है 3200 करोड़ का गड़बड़झाला!

अभी पीएनबी घोटाला सुर्खियों में ही है कि एक और नया घोटाला सामने आ गया है, वो भी पूरे 3200 करोड़ का। खबरों के मुताबिक देश की 447 प्रतिष्ठित कंपनियों ने कर्मचारियों की सेलरी में से 3200 करोड़ का टीडीएस तो काटा, मगर उसे सरकार के खाते में जमा न कर अपने कारोबार में खर्च कर दिया। कर्मचारियों को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई कि उनकी सेलरी में से कटे टीडीएस के साथ उनके मालिकान क्या कर रहे हैं।

इस घोटाले का खुलासा आयकर विभाग ने किया है। आयकर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक खुलासा एक सर्वे के माध्यम से हुआ है। 447 कंपनियों ने अपने मुलाजिमों की सेलरी में से तो टीडीएस के रूप में धनराशि काट ली, मगर उसे सरकारी खाते में जमा नहीं किया। 3200 करोड़ का यह घोटाला अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के बीच का है। यानी एक साल के अंदर इन कंपनियों ने इस गड़बड़झाले को अंजाम दिया। कहा यह भी जा रहा है कि टीडीएस चोरी करने वालों में अभी तो कुछ का ही नाम सामने आया है, और भी तमाम कंपनियों का नाम आना शेष है।

शेष पेज दो पर